न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या – 209/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर – 2023/334

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1 मैना पुत्र गोकला		1 केसाराम पुत्र नाथाराम
2 चौथा पुत्र गोकला		2 चिमाराम पुत्र नाथाराम
3 देवा पुत्र गोकला		3 पीलाराम पुत्र नाथाराम
4 इमरती पत्नी अचला		4 रूपाराम पुत्र नाथाराम
5 ताजाराम पुत्र अचला		5 राहिमाराम पुत्र नाथाराम
6 नारायणराम पुत्र अचला		6 हिम्मताराम पुत्र हरचंदराम
7 रामाराम पुत्र अचला		7 रूमाराम पुत्र चुतराराम नाबालिग जरीये कुदरती वली संरक्षक पिता चुतराराम
जाति जाट निवासी साजीयाली मूलराज द्वितीय ग्राम पंचायत रूपजी राजा बेरी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		8 पेमाराम पुत्र हरचंदराम
		9 खेताराम पुत्र हीराराम
		10 वीरमाराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी साजीयाली मूलराज द्वितीय तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
		11 हनुमानाराम पुत्र लाधाराम जाति जाट निवासी गंगाणियों की ढाणी कालेवा, तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
		12 राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री जूंजाराम पटेल ,अधिवक्ता प्रार्थीगण [illegible]
2. विप्रार्थी एकपक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 13:46:22 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 15/01/2024

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम साजीयाली मूलराज द्वितीय पटवार हल्का साजीयाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 259/183 क्षेत्रफल 5.0181 हैक्टेयर व खसरा संख्या 266/198 क्षेत्रफल 06.3455 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम साजीयाली मूलराज द्वितीय पटवार हल्का साजीयाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 259/183 क्षेत्रफल 5.0181 हैक्टेयर व खसरा संख्या 266/198 क्षेत्रफल 06.3455 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 11 की तरफ से वकालतनामा पेश किया गया,लेकिन सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 10 व 12 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामली के उपस्थित नहीं हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्तः अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम साजीयाली मूलराज द्वितीय पटवार हल्का साजीयाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 259/183 क्षेत्रफल 5.0181 हैक्टेयर व खसरा संख्या 266/198 क्षेत्रफल 06.3455 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है,इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम साजीयाली मूलराज द्वितीय पटवार हल्का साजीयाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 259/183 क्षेत्रफल 5.0181 हैक्टेयर व खसरा संख्या 266/198 क्षेत्रफल 06.3455 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया, तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम साजीयाली मूलराज द्वितीय पटवार हल्का साजीयाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 259/183 क्षेत्रफल 5.0181 हैक्टेयर व खसरा संख्या 266/198 क्षेत्रफल 06.3455 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदारान अपनी भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.03 13:46:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–

धारा 128 सीमा विवाद–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपल्बध मौका फर्द दिनांक 15.06.2022 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है, ऐसी स्थिति में RLR ACT. की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम साजीयाली मूलराज द्वितीय पटवार हल्का साजीयाली रूपजी राजाबेरी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 259/183 क्षेत्रफल 5.0181 हैक्टेयर व खसरा संख्या 266/198 क्षेत्रफल 06.3455 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,बालोतरा

आदेश आज दिनांक 15.01.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.03.08 13:46:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा